कार्यालय, कुलसचिव, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर।

पत्रांक 2235/कु0स0का0/सि0वि0वि0/2021–22 दिनाक 03 08 2022

सेवा में,

प्राचार्य/प्रबन्धक
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय
(सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर)

विषय **यदि शासन द्वारा निर्धारित आय सीमा के नीचे जीवन यापन करने वाले किसी परिवार की एक से अधिक बच्चियॉ किसी महाविद्यालय अथवा संस्था मे अध्ययन कर रही है तो दूसरी बच्ची की ट्यूशन फीस या तो संस्था को प्रोत्साहित करते हुए माफ कराई जाये या उसकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा किये जाने के सम्बन्ध मे।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सख्या–2065/सत्तर–3–2022 दिनाक 01 अगस्त, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि मा0 मुख्यमत्री जी द्वारा दिनाक 01 10 2021 को घोषणा की गई है कि "यदि शासन द्वारा निर्धारित आय सीमा के नीचे जीवन यापन करने वाले किसी परिवार की एक से अधिक बच्चियॉ किसी महाविद्यालय अथवा सस्था मे अध्ययन कर रही है तो दूसरी बच्ची की ट्यूशन फीस या तो सस्था को प्रोत्साहित करते हुए माफ कराई जाये या उसकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा किये जाने पर विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों को कितना वित्तीय व्ययभार वहन करना पडेगा तथा उक्त छात्राओ की कुल सख्या कितनी है, की सूचना उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि किसी परिवार की एक से अधिक बच्चियॉ किसी उच्च शिक्षण सस्था मे अध्ययन कर रही है तो दूसरी बच्ची की ट्यूशन फीस प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा किये जाने पर विश्वविद्यालयो/महाविद्यालयो को कितना वित्तीय व्ययभार वहन करना पडेगा तथा लभान्वित होने वाले छात्रो की कुल सख्या कितनी है, की सूचना से दिनाक 05 08.2022 तक प्रत्येक दशा मे अपराह्न 02 बजे तक उपलब्ध कराये जिससे शासन को सूचना उपलब्ध करायी जा सके।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय
03.08.22
कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु
सिद्धार्थनगर

पत्रांक 2235/कु0स0का0/सि0वि0वि0/2022 दिनाक 03/08/2022
प्रतिलिपि– निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित–

1 विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभा–2, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2 क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर एव बस्ती मण्डल।
3 सयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रयागराज।
4 निजी सचिव मा0 कुलपति जी को कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
5. कोडिग प्रभारी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र महाविद्यालयो की लॉगिन आई0डी0 एव वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करे।
6 मूल पत्रावली मे सरक्षण हेतु।

3.08.22
कुलसचिव

<u>मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा/शीर्षप्राथमिकता</u>
<u>संख्या– 2065/सत्तर–3–2022</u>

प्रेषक,

मनोज कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक ,**
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

2. **कुलसचिव,**
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उ0प्र0।

<u>उच्च शिक्षा अनुभाग–3</u> **<u>लखनऊ : दिनांक 01 अगस्त, 2022</u>**

विषयः–यदि शासन द्वारा निर्धारित आय सीमा के नीचे जीवन यापन करने वाले किसी परिवार की एक से अधिक बच्चियॉ किसी विद्यालय, महाविद्यालय अथवा संस्था में अध्ययन कर रही है तो दूसरी बच्ची की ट्यूशन फीस या तो सस्था को प्रोत्साहित करते हुए माफ कराई जाये या उसकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा किये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक बेसिक शिक्षा अनुभाग–3 के पत्र स0–536(1)/अडसठ–3–2022, दिनाक 25.07.2022 (छायाप्रति सलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनाक 01.10.2021 को घोषणा की गई है कि ' यदि शासन द्वारा निर्धारित आय सीमा से नीचे जीवन यापन करने वाले किसी परिवार की एक से अधिक बच्चियॉ किसी विद्यालय, महाविद्यालय अथवा सस्था में अध्ययन कर रही है, तो दूसरी बच्ची की ट्यूशन फीस या तो संस्था को प्रोत्सहित करते हुए माफ करायी जाय या उसकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी''। इस सम्बन्ध में किसी परिवार की एक से अधिक बच्चियॉ किसी उच्च शिक्षण सस्था मे अध्ययन कर रही है तो दूसरी बच्ची की ट्यूशन फीस प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा किये जाने पर विश्वविद्यालयो/महाविद्यालयो को कितना वित्तीय व्ययभार वहन करना पडेगा तथा उक्त छात्राओ की कुल सख्या कितनी है, की सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा की गयी है।

2– इस सम्बन्ध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि किसी परिवार की एक से अधिक बच्चियॉ किसी उच्च शिक्षण सस्था में अध्ययन कर रही है तो दूसरी बच्ची की ट्यूशन फीस प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा किये जाने पर विश्वविद्यालयो/महाविद्यालयों को कितना वित्तीय व्ययभार वहन करना पडेगा तथा लाभान्वित होने वाले छात्राओ की कुल संख्या कितनी है, की सूचना से दिनाक 05.08.2022 तक प्रत्येक दशा में शासन को उपलबध कराने का कष्ट करे।

<u>संलग्नक–यथोक्त</u>

भवदीय,

(मनोज कुमार)
विशेष सचिव।

मुख्य सचिव कार्यालय
दिनांक 26/07/22
महत्वपूर्ण

संख्या 745 /VIP-PSHED/2022

वि.स.(M.K.)/HE-3

संख्या—2065 /सत्तर-3-2022

मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा/प्राथमिकता

उत्तर प्रदेश शासन
बेसिक शिक्षा अनुभाग—3
संख्या :5364 अडसठ—3—2022
लखनऊ : दिनांक :25 जुलाई, 2022

26/07/22

(1) अपर मुख्य सचिव,
माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

(2) अपर मुख्य सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

(मोनिका एस० गर्ग)
अपर मुख्य सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

अवगत कराना है कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 02.10.2021 को घोषणा की गई है कि "यदि शासन द्वारा निर्धारित आय सीमा से नीचे जीवन यापन करने वाले किसी परिवार की एक से अधिक बच्चियाँ किसी विद्यालय, महाविद्यालय अथवा संस्था मे अध्ययन कर रही हैं तो दूसरी बच्ची की ट्यूशन फीस या तो संस्था को प्रोत्साहित करते हुए माफ कराई जाएगी या उसकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी"।

2— इस सम्बन्ध में बेसिक शिक्षा विभाग को नोडल विभाग नामित किया गया है। अत मा0 मुख्यमत्री जी की उक्त घोषणा के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत कराने का कष्ट करे कि यदि किसी परिवार की एक से अधिक बच्चियां किसी विद्यालय, महाविद्यालय अथवा सस्था मे अध्ययन कर रही हैं तो दूसरी बच्ची की फीस की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा किये जाने पर आपके विभाग को कितना वित्तीय व्ययभार वहन करना पडेगा तथा उक्त छात्राओं की कुल संख्या कितनी होगी। कृपया इस सम्बन्ध में विस्तृत सर्वे कराकर उक्त बिन्दुओं पर अपने विभाग का अभिमत/सूचना बेसिक शिक्षा विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1661/USHE(M)/22

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

DS-3
कृ0 तत्काल सूचना प्राप्त कर बेसिक शिक्षा विभाग को भेजी जाये।
27.7.22

27.07.22
(मनोज कुमार)
विशेष सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उ0 प्र0 शासन

श्री अरुण
27/7/22